निदेशक, खान की अध्यक्षता में दिनांक–24.02.2026 (मंगलवार) को अपराह्न 03:30 बजे से VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

समीक्षा के क्रम में VC के माध्यम से जिलों के सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :–

1. **समाहरण :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य 4756.73 करोड़ के विरूद्ध 23 फरवरी, 2026 तक मात्र 2628.72 करोड़ रूपये का समाहरण प्राप्त हुआ है, जो वार्षिक लक्ष्य का प्रतिशत 55.26 है।

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 23 फरवरी, 2026 तक कम समाहरण करने वाले 12 (बारह) जिलों की स्थिति निम्नवत है :–

क्र0	जिला	वार्षिक लक्ष्य (2025–26)	23 फरवरी, 2026 तक का समाहरण	वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 23 फरवरी, 2026 तक समाहरण का प्रतिशत	लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर
01	02	03	04	05	06
01	मुंगेर	4217.87	1075.11	25.49	3142.76
02	शिवहर	1853.78	564.03	30.43	1289.75
03	जमुई	25095.00	8810.32	35.11	16284.68
04	सारण	8915.55	3291.24	36.92	5624.31
05	जहानाबाद	3873.97	1517.92	39.18	2356.05
06	पटना	63940.77	27151.77	42.46	36789.00
07	मधुबनी	6097.62	2735.83	44.87	3361.79
08	लखीसराय	14116.21	6417.95	45.47	7698.26
09	बेगूसराय	2663.23	1212.97	45.55	1450.26
10	औरंगाबाद	51290.81	23892.11	46.58	27398.70
11	गया	27921.94	13851.37	49.60	14070.57
12	रोहतास	42669.49	23203.22	54.37	19466.27

उपर्युक्त जिलों को निदेश दिया गया कि सभी मदों का कार्य योजना बनाकर वित्तीय वर्ष के पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। साथ ही उपर्युक्त जिलों द्वारा बालूघाटों के संचालन में व्यक्तिगत अभिरूचि न लेने, बालूघाटों के बंदोबस्तधारियों से बंदोबस्ती की राशि का भुगतान नहीं कराने, कार्य विभागों का नियमित अनुश्रवण नहीं करने, मदवार राजस्व समाहरण की प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार नहीं किये जाने एवं अनीलामित बालूघाटों का नीलामी की कार्रवाई में अभिरूचि नहीं लेने के कारण खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि संबंधित जिलों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

वित्तीय वर्ष समाप्ति में मात्र 01 माह की अवधि शेष है। राजस्व समाहरण में पीछे चल रहे जिलों को बार–बार निदेश दिये जाने के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। संबंधित जिलों को राजस्व समाहरण में व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर लक्ष्य के

अनुसार सभी मदों में प्राप्ति हेतु सख्त निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि संबंधित जिलों से स्पष्टीकरण किया जाय कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाय।

समाहरण के दृष्टिगत बड़े 05 जिलों का लक्ष्य एवं समाहरण :–

क्र0	जिला का नाम	वार्षिक लक्ष्य (2025–26)	23 फरवरी, 2026 तक का समाहरण	लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर
01	02	03	04	06
01	पटना	63940.77	27151.77	36789.00
02	औरंगाबाद	51290.81	23892.11	27398.70
03	भोजपुर	83838.73	58808.88	25029.85
04	रोहतास	42669.49	23203.22	19466.27
05	गया	27921.94	13851.37	14070.57

उपरोक्त 05 जिलों का वार्षिक लक्ष्य एवं समाहरण का अन्तर काफी अधिक है। निदेश दिया गया कि कार्य योजना बनाकर वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2025–26 समाप्ति में मात्र 01 माह की अवधि शेष है। शेष अवधि में किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य एवं समाहरण के अन्तर को पूरा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. **कार्य विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व समाहरण की अद्यतन स्थिति :–**

कार्य विभाग का निर्धारित लक्ष्य 1263.51 करोड़ के विरूद्ध 22 फरवरी, 2026 तक का समाहरण 808.66 करोड़ है, जो लक्ष्य का प्रतिशत 64.00 है। सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, नवादा एवं पटना जिलों का कार्य विभाग मद में कुल लक्ष्य का 60 प्रतिशत से भी कम समारण किया गया है, जो खेदजनक है। संबंधित जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि होली पर्व के पूर्व सभी कार्य विभागों में कैम्प कर क्रियान्वित परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के बावत नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की राशि का कटौती सुनिश्चित करायें तथा कटौती की गई राशि को खनन शीर्ष में जमा करायें। जिलास्तरीय खनन टॉस्क फोर्स की बैठक में सभी कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस का भुगतान की समीक्षा समाहर्त्ता से करायेंगें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. **बालूघाटों के नीलामी/संचालन :–**

(i) राज्यान्तर्गत कुल– 463 पीला बालूघाटों में से वर्तमान में 303 बालूघाट नीलामित है एवं संचालित बालूघाटों की संख्या 168 है। वर्त्तमान में औरंगाबाद में 59, गया में 20, जहानाबाद में 12, पटना में 11, नवादा में 11, भोजपुर में 10, रोहतास में 08, नालन्दा में 08, जमुई में 08, लखीसराय में 05, भागलपुर में 05 एवं अरवल में 03 बालूघाट अभी भी अनिलामित हैं। बालूघाटों की बंदोबस्ती के संबंध में बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद बालूघाटों की नीलामी में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को सख्त

निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिला समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर अनीलामित बालूघाटों का निविदा आमंत्रित कर बालूघाटों की नीलामी की कार्रवाई सफलतापूर्वक सुनिश्चित करायें। साथ ही नीलामीत बालूघाटों का बंदोबस्तधारी एवं संबंधित RQP से सम्पर्क कर लंबित वैधानिक अनापत्ति यथा EC/CTE/CTO सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन :– संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

(ii) राज्यान्तर्गत कुल 541 उजले बालूघाटों/कलस्टरों में से वर्तमान में कुल 88 बालूघाट नीलामित हैं। शेष अनीलामित कुल 453 बालूघाटों का अविलम्ब नीलामी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। वर्त्तमान में वैशाली के 132, पटना के 124, सारण के 51, बक्सर के 45, मुंगेर के 22, पूर्णियाँ के 17, समस्तीपुर के 13, गोपालगंज के 12 एवं मोतिहारी के 12 बालूघाट अभी भी अनिलामित हैं। निदेश दिया गया कि अविलम्ब समाहर्त्ता से सम्पर्क स्थापित कर नीलामी हेतु निविदा का प्रकाशन कराया जाय।

(अनुपालन :– संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. **SEIAA की दिनांक– 19.02.2026 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तावित बालूघाटों की स्थिति :–**

दिनांक– 19.02.2026 को सम्पन्न SEIAA, Bihar की बैठक में राज्य के कुल– 27 बालूघाटों के प्रयोजनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें पटना के 02, भोजपुर के 03, औरंगाबाद के 07, नवादा के 06, जमुई के 05, सीतामढ़ी के 02, मोतिहारी के 01 एवं रोहतास के 01 प्रस्ताव कार्यावली में शामिल हैं। निदेश दिया गया कि EC प्राप्त होने के 02 दिनों के अन्दर सक्षम प्राधिकार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के समक्ष बंदोबस्तधारी/RQP से CTE/CTO प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

5. **EC निर्गत परन्तु CTE/CTO लंबित बालूघाटों की स्थिति :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक– 04.02.2026 को SEIAA, Bihar द्वारा निर्गत कुल– 07 बालूघाटों की EC के सापेक्ष कुल– 05 बालूघाटों का CTE/CTO लंबित है, जिसमें पटना जिला के 01 CTO, अरवल के 02 CTO एवं जमुई जिला के 01 बालूघाट द्वारा CTE हेतु आवेदन नहीं दिया गया है। निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि लेकर सक्षम प्राधिकार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से समन्वय स्थापित कर लंबित CTE/CTO का निष्पादन सुनिश्चित करायेंगें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

6. **CTE/CTO निर्गत परन्तु भुगतान लंबित बालूघाटों की स्थिति :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औरंगाबाद जिला के 02, अरवल के 01, वैशाली के 02, बेगुसराय के 02 एवं मधेपुरा के 01 बालूघाटों का CTE/CTO निर्गत है, परन्तु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि 03 दिनों के अन्दर लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

7. **प्रत्यार्पित बालूघाटों के पुनर्नीलामी की समीक्षा :–**

राज्यान्तर्गत कुल प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0–78 है, जिसमें से मात्र 11 बालूघाटों की सफल नीलामी हुई है। प्रत्यार्पित बालूघाटों की सघन जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही प्रत्यार्पित बालूघाटों के Lessee का समाहर्त्ता के साथ बैठक कराकर समस्याओं का निराकरण करायें, ताकि राजस्व क्षति न हो।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

8. **वित्तीय वर्ष 2025–26 में लक्ष्य एवं समाहरण के कार्य योजना की समीक्षा :–**

सहायक निदेशक एवं खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन मदों से राशि आने वाली है, उसे विशेष रूप से ध्यान देकर अविलम्ब खनन शीर्ष में जमा करायें। बालूघाटों के नीलामी/पुनर्नीलामी में व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अविलम्ब नीलामी सफल करायें। इसी प्रकार संचालित बालूघाटो से प्राप्त होने वाली देय किस्त की राशि का ससमय भुगतान सुनिश्चित करायें। कार्य विभाग में व्यवहृत लघु खनिजों के बावत नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की कटौती सुनिश्चित कराते हुए राशि को खनन शीर्ष में जमा करायें। साथ ही कार्य विभाग से प्राप्त राशि को संबंधित कोषागार से मिलान कराना सुनिश्चित करें। दण्ड मद निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रतिदिन संवेदनशील स्थलों पर छापेमारी कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर दण्ड की वसूली सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

9. **ईंट–भट्ठों की भुगतान की स्थिति :–**

राज्यान्तर्गत कुल ईंट–भट्ठों की सं0–6188 है, जिसमें से पूर्ण भुगतान ईंट–भट्ठों की सं0–3252 है, आंशिक भुगतान प्राप्त ईंट–भट्ठों की सं0–14 एवं शून्य भुगतान वाले ईंट–भट्ठों की सं0–2817 है। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने जिलों में संचालित ईंट–भट्ठों का निरीक्षण कार्य पूर्ण कराकर सभी ईंट भट्ठों से समेकित स्वामिस्व का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

10. **S-Drive के अन्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्रतिवेदनः–**

राज्यान्तर्गत कुल–38 जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के संबंध में S-Drive चलाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाय तथा खान निरीक्षक को नियमित रूप से संवेदनशील स्थलों पर छापेमारी कर नियमानुसार दंड की राशि की वसूली सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित करें। निदेश दिया गया कि दण्ड मद में निर्धारित लक्ष्य में अन्तर राशि की भरपाई अन्य मद में अतिरिक्त राशि की वसूली/भुगतान कराकर किया जाय। कृत कार्रवाई की सूचना कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्य बिन्दु :–

(1) विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के समाप्ति में बहुत ही कम दिन शेष है। कार्य योजना के तहत शेष लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

(2) संचालित बालूघाटों/प्रत्यार्पित बालूघाटों के संबंध में पहुँच पथ, विधि व्यवस्था, नो–इन्ट्री इत्यादि समस्याओं का समाधान राजस्व हित में करने का निदेश दिया गया।

(3) सभी जिलों के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बालूघाटों के संचालन, कार्य विभागों द्वारा खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस की कटौती तथा अन्य राशि की वसूली में आ रही समस्याओं को समाहर्त्ता के संज्ञान में आवश्य दें।

(4) सभी कार्य विभागों का योजनावार समीक्षा कर रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस का भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(5) VC के क्रम में अन्य जिलों से सुनवाई के दरम्यान माईक ऑन कर असंसदीय भाषा का उपयोग करने के कारण समीक्षा में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने के कारण प्रखर प्रज्ञा, खान निरीक्षक, पूर्णियाँ को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

(6) कार्य विभागों द्वारा व्यवहृत लघु खनिजों के एवज में नियमानुसार खनिज मूल्य एवं मालिकाना फीस के रूप में प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य का 10 प्रतिशत राशि की कटौती का मिलान एम0बी0 बुक एवं बिल बुक से अवश्य करें एवं कटौती की गई राशि को खनन शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करें।

स्थापना (क्षेत्रीय) :–

(i) कई जिलों द्वारा बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज नहीं करने की सूचना प्राप्त है। बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अगले माह से वेतन का भुगतान नहीं होने का सख्त चेतावनी दिया गया है। इस संबंध में पत्र के माध्यम से भी सभी सहायक निदेशक/ खनिज विकास पदाधिकारी को संसूचित किया जाए।

(ii) कुछ जिलों द्वारा जिला अनुकम्पा समिति से बैठक कराकर अनुशंसा उपलब्ध नहीं कराया गया है, संबंधित जिलों को बैठक कराकर अनुशंसा अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iii) खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा खान निरीक्षक की सम्पुष्टि का मामला 21.08.2024 से लंबित है, उसे अविलम्ब निराकरण करने का निदेश दिया गया।

(iv) ग्रुप बीमा, GPF एवं पेंशन उपादान का मामला भी कई जिलों में लंबित है, उसे अविलम्ब निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(v) सेवा सम्पुष्टि से संबंधित मामलों को विहित प्रपत्र में भेजने का निदेश दिया गया।

(vi) ACP/MACP से संबंधित मामलों को विहित प्रपत्र में भेजने का निदेश दिया गया।

(vii) कुल 38 जिलों में से कुल 09 जिलों यथा औरंगाबाद, बक्सर, गया, जहानाबाद, मधुबनी, नालंदा, रोहतास, सहरसा एवं समस्तीपुर, द्वारा जिला खनन कार्यालय

निजी मकान में अवस्थित है। उन जिलों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि समाहर्त्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब कार्यालय को सरकारी भवन में हस्तानांतरण किया जाय।

(अनुपालन :–अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग / सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 / –

(मनेश कुमार मीणा)
निदेशक, खान

सं0सं0:-- प्र0–II–विविध(बैठक)–15 / 2023–...................... / एम0, पटना, दिनांक :–.....................
प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

सं0सं0:– प्र0–II–विविध(बैठक)–15 / 2023–1641 / एम0, पटना, दिनांक :– 02/03/26
प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / संयुक्त सचिव / अवर सचिव / विधि पदाधिकारी / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी–I, II / सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी (मु0 / क्षे0) / आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव